

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक

मई, 2022 ई०।

संख्या—13/पी,—104/2019—...../सी०, श्री अनुराग गुप्ता, भा०पु०से० (1990) को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

2. निलंबन अवधि के संबंध में उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।
3. निलंबन मुक्त होने के फलस्वरूप श्री अनुराग गुप्ता, भा०पु०से० विभाग में अपना योगदान समर्पित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(अविनाश चन्द्र ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक — 13/पी,—104/2019—...../ राँची, दिनांक मई, 2022 ई०।

प्रतिलिपि :— महालेखाकार, झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक — 13/पी,—104/2019—...../ 1789, राँची, दिनांक 06मई, 2022 ई०।

प्रतिलिपि :— अवर सचिव (पुलिस), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/श्री अनुराग गुप्ता, भा०पु०से०, डी—14/28, ऑफिसर्स फ्लैट, नेपाल हाउस एरिया, डोरण्डा, राँची—834002/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, ई—गजट/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/दफ्तरी, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.05.22

सरकार के अवर सचिव।